



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274753
CG-DL-E-24072026-274753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3844]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3844]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4014(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2412(E) तारीख 12/05/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH 844 के कि.मी. 10.4 से कि.मी.53.80 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3A की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक: 27.05.2026 को * द हिंदू * (अंग्रेज़ी) तथा *Dhina Thanthi* (तमिल) में प्रकाशित किया गया है।

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH 844 के कि.मी. 10.4 से कि.मी.53.80 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: कृष्णागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: होसुर					
गांव का नाम: माथीगीरी					
1	334/2ए1	निजी	ड्राय	0.0157	रानी डबल्यू/ओ वेंकटाचलम 334/2A1B
2	334/2बी1ए	निजी	ड्राय	0.0145	गोपालप्पा एस्/ओ रमय 334/2B1A2
3	334/2बी1बी	निजी	ड्राय	0.0044	मोनिका शालिनी डी/ओ फर्नांडिज 334/2B1B2
4	334/2सी1	निजी	ड्राय	0.0975	डीआर्.बी.पी.अल्लान हरी नारायण एस्/ओ बी.एस्.पांडुरंगा 334/2C1B
तालुक का नाम: डेंकनीकोट्टई					
गांव का नाम: अडियंडहल्ली					
5	207/7	निजी	ड्राय	0.0382	के.मदेश एस्/ओ कोधंडन 207/7
Total				0.1703	

[फा. सं. NHAI/11021/3/PIUKRISHNAGIRI/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4014(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2412(E) Dated:12/05/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 844 in the stretch of land from Km. 10.4 to Km. 53.80 (Hosur-Royakotta-Dharmapuri Section) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in The Hindu (English) and Dhina Thanthi (Tamil) dated:27.05.2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority Under 3C;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 844 in the stretch of land from Km. 10.4 to Km. 53.80 in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: KRISHNAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hosur					
Village: Mathigiri					
1	334/2A1	Private	Dry	0.0157	Rani W/o Venkatachalam 334/2A1B
2	334/2B1A	Private	Dry	0.0145	Gopalappa S/o Ramaya 334/2B1A2
3	334/2B1B	Private	Dry	0.0044	Monika Shalini D/o Fernandez 334/2B1B2

4	334/2C1	Private	Dry	0.0975	Dr.B.P.Allan hari Narayan S/o B.S.Panduranga 334/2C1B
Taluk: Denkanikottai					
Village: Odiyandahalli					
5	207/7	Private	Dry	0.0382	K.Madesh S/o Kodhandan 207/7
Total				0.1703	

[F. No. NHAI/11021/3/PIUKRISHNAGIRI/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director